

FORM NO. III

फंद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

इसराइल वगैरह बनाम फजरी वगैरह

मु.नं. 153/2025

फिरम मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.11.2025	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप चौधरी द्वारा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26.12.2025 को पेश हो।</p> <p><i>रु</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p> <p><u>26.12.25</u> उनभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06.02.26 को पेश हो। <i>एम</i></p> <p><u>06.02.26</u> पत्रावली पेश हुई। फाइलान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उम्र पर अनुपस्थित। पत्रावली लम्बे समय से तलबी में लौकित है। वादीगणों निर्देशों के बावजूद भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की गारंटी आदिगांत तक पेश नहीं की है और निर्देशों की अवहेलना की गई है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली वादीगण की अदम्य हाजरी व अदम्य फंडी में खारिज हो जाती है। पत्रावली फंडाल सुधार लेकर वाकिल इफ्तार हो। <i>रु</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	